न्यायालय मुन्सिफ
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, सोनपुर, सारण।

उपस्थित–नज़ीम अहमद, मुन्सिफ, सोनपुर, सारण।

हकियत वाद संख्या : 13/2019

गणेश राय.....वादी।

बनाम

सुभाष राय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण।

आदेश

04.06.2026 वादी पक्ष की ओर से हाजरी है। अभिलेख आज वादी पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–14.05.2026 अन्तर्गत आदेश–6, नियम–17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु उपस्थापित है। पुकार पर वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदन चालित हुआ। सुना।

वादी पक्ष के उक्त आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वाद के सुनवाई के क्रम में वाद–पत्र के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात भी टंकक की गलती से वाद–पत्र में कुछ शब्द टंकित होना छुट गया है साथ हीं वादग्रस्त भूमि से संबंधित नजरी नक्सा वाद पत्र में आना छूट गया है, जिसे वाद के उचित न्याय–निर्णयन हेतु वाद पत्र में लाया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति नहीं बदलती है। अतः प्रार्थना है कि वाद–पत्र में संशोधन किये जाने हेतु आदेश पारित किया जाये।

प्रस्तावित संशोधनः–

1– यह कि वाद पत्र के पृष्ठ सं0 10 के अन्त में शब्द दी गई है के बाद जुटेगा ''जिसे नजरी नक्शा के माध्यम से दर्शाया गया है'' जुटेगा वो उसी कदर वाद पत्र के पृष्ठ सं0 18 में वर्णित मद नं0 3 के निचे ''नजरी नक्शा के माध्यम से दर्शाया गया है'' जुटेगा। साथ–ही नजरी नक्सा का चित्र दिया गया है।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी पक्ष उपस्थित नहीं है तथा प्रस्तुत वाद उनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई हेतु लंबित है।

वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु निश्चित है। वादी पक्ष ने प्रस्तुत वाद अन्य अनुतोषों के साथ वाद पत्र के अनुसुची सं0–01 में वर्णित भूमि पर अपने हकियत की उदघोषणा तथा अनुसूचि सं0–02 में वर्णित केवाला दिनांक–25.07.2013 को शुन्य घोषित करने के साथ अनुसुची सं0–03 में वर्णित भूमि पर कब्जे की पुनः प्राप्ति की डिक्री हेतु दाखिल किया है। वादी पक्ष के प्रस्तुत आवेदन में वर्णित प्रस्तावित संशोधन के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से वादी पक्ष वाद–पत्र में जो संशोधन करना चाहते हैं, वह सामान्य प्रकृति का संशोधन है। प्रस्तावित संशोधन से वाद का स्वरूप नहीं बदलता है तथा इससे विपक्षी के हित को कोई हानि नहीं पहुँचती है। वादी पक्ष का प्रस्तुत आवेदन शपथ–पत्र द्वारा सत्यापित है परंतु काफी विलंब से दाखिल किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वादी पक्ष द्वारा दाखिल प्रस्तुत संशोधन आवेदन को न्यायहित में **1000/–(एक हजार) रूपये परिव्यय** पर **स्वीकृत** किया जाता है। वादी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उचित समय सीमा के अन्तर्गत **परिव्यय की राशि नजारत, अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, सोनपुर, सारण में जमा करने के पश्चात्** कार्यालय लिपिक के समक्ष **आवेदानुसार** वाद–पत्र में संशोधन प्रक्रिया की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

दिनांक–**02.07.2026** अग्रतर कार्रवाई हेतु।

(लेखापित)

मुन्सिफ, सोनपुर।

Web Copy not Official